कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/उत्पा/निस्तार/322/2776 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2006

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :– बाढ़ पीड़ितो को बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराने के संबंध में शासनादेश।

––00––

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक ए/6–24/सात/2005/शा–3 दिनांकं 11 मार्च 2006 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–6 क्रमांक–4 की कंडिका–9 में निम्नानुसार प्रावधान है:–

"ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व्यक्ति जिसकी झोपड़ी/मकान या पशुशाला नष्ट हो गई है, उसे झोपड़ी/मकान या पशुशाला बनाने के लिये निःशुल्क बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। तहसीलदार निकटतम वन डिपो के रेंजर को इस आशय की सूचना देगें कि संबंधित पीड़ित को कितने बांस एवं कितनी बल्लियॉ दी जाये, संबंधित वन डिपो इन्चार्ज का यह कर्तव्य होगा कि वह तत्काल समुचित मात्रा में बांस बल्लियॉ पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करे। ऐसे मामलों में अधिकतम मात्रा 50 बांस एवं 30 बल्ली प्रति मकान (पशुशाला साहित) दी जा सकेगी। बांस बल्ली की डिपो से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को अलग से की जावेगी जो कि वास्तुविक ढुलाई व्यय के अनुसार होगी, किन्तु अधिकतम राशि रूपये 500–00 (रूपये पांच सौ) से अधिक नहीं होगी।,

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6–24/सात/2005/शा–3 दिनांक 11–3–2006 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

" राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 कंडिका क्रमांक–9 विलोपित की जाती है।"

अर्थात पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क बांस/बल्ली का प्रदाय करने की प्रथा बन्द कर दी गई है। कृपया क्षेत्रीय अधिकारियों को शासनादेश से अवगत कराने का कष्ट करें।

सही–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./उत्पा./निस्तार/322/2777 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2006

प्रतिलिपि :–

सचिव, म0प्र0.शासन वन विभाग,बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सही–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश,भोपाल